बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में आपको वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

राज्य सरकार 'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु सुशासन के कार्यक्रम को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जा रहा है।

सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएँ यथा–पेयजल, शौचालय एवं बिजली उपलब्ध हो बल्कि आधारभूत संरचनाएँ यथा–सड़क, गली–नाली, पुल आदि का भी विस्तार हो। राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ उनके लिए उच्च, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय की रूप–रेखा तैयार की तथा उन्हें सुशासन के कार्यक्रम में शामिल किया। सात निश्चय के तहत् कार्यान्वित योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है और इसका लाभ बगैर किसी भेद–भाव के सभी क्षेत्रों, समुदायों एवं वर्गों को प्राप्त हो रहा है।

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि–व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए कानून का शासन स्थापित कर लोगों को भयमुक्त समाज प्रदान करने की रही है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है एवं कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि वे दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक कर सकें। यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अद्यतन प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दर्ज संज्ञेय अपराधों की राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख की जनसंख्या पर 233.6 की तुलना में बिहार में मात्र 157.4 है। अपराध दर के अनुसार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का स्थान 22वाँ है। वर्ष 2018 में मुख्य शीर्षों में जो अपराध हुए हैं, उसमें से अधिकांश मामलों में उद्भेदन हुआ है तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अनेक अभियुक्तों को सजा भी हुई है। वर्ष 2018 में अब तक कुल 3650 कांडों में अभियुक्तों को सजा मिली है।

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिये वर्ष 2018 में 120 पुलिस उपाधीक्षकों की सीधी नियुक्ति, 240 पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं 9845 पदों पर सिपाही के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी है। अनुसंधान के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए थाना स्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान शाखा के अलग–अलग गठन हेतु पुलिस अवर निरीक्षक के 5244 पद एवं सहायक अवर निरीक्षक के 2603 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018 में रंगे हाथ घूस लेने से संबंधित 53 मामले आय से अधिक सम्पत्ति के 2 मामले, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 4 मामले सहित कुल 59 काण्ड दर्ज किये गये हैं। वर्ष 2018 में पांच मामलों में विभिन्न लोक सेवकों के विरूद्ध चल–अचल सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश पारित किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के 45 मामले दर्ज किये गये, जिसमें 29 मामलों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। **बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम** के तहत् 24 मामलों में लोक सेवकों की परिसम्पत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल 131 मामलों में 'प्रिवेन्शन ऑफ मनी लौन्ड्रिंग एक्ट' के तहत् सम्पत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्त्तन निदेशालय को भेजा गया है, जिसमें 256 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सन्निहित है।

प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए बिहार लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत अद्यतन 20.5 करोड़ आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू कर लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन सफल रहा है और इससे नागरिकों में विश्वास बढ़ा है। अब तक लगभग 4.1 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को वर्ष 2018 के सुप्रतिष्ठित ''कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड'' तथा ''स्कॉच अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस'' से सम्मानित किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ एसोसियेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट के सिटीजन फोकस्ड इनोवेशन श्रेणी में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंकशन प्रदान किया गया है। लोकहित में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से ''**लोक संवाद**'' के माध्यम से लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं जिससे राज्य सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का संवर्द्धन कर रही है।

राज्य की आधारभूत संरचना के विकास एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य के बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018–19 में लगभग 1 लाख 77 हजार करोड़ रूपये हो गया है। राज्य का अपना कर राजस्व संग्रहण वर्ष 2017–18 में 23,136 करोड़ रूपये था जिसका वर्ष 2018–19 में 31 हजार करोड़ रूपये संग्रह करने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व बचत 21,312 करोड़ रूपये अनुमानित है। यह राजस्व बचत राज्य के विकासमूलक कार्यों पर खर्च की जायेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही राजकोषीय घाटा 11,204 करोड़ रूपये अनुमानित है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.17 प्रतिशत होगा। यह बिहार राज्यकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की 3 प्रतिशत की निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किये गये आंकड़ों में त्वरित आकलन के आधार पर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2017–18 में राज्य की विकास दर 11.3 प्रतिशत रही है। यह विकास दर देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रही है।

कोषागार के क्रियाकलापों के बेहतर संचालन एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु उन्नत तकनीक एवं परिष्कृत प्रणाली के रूप में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अप्रैल, 2019 से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विकास एवं सम्वर्द्धन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस तकनीक के लागू होने के बाद राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य एवं कोषागार की कार्य प्रणाली पूर्णतः ऑनलाईन हो जायेगी।

राज्य में '**महिला सशक्तीकरण नीति**' लागू की गयी है। महिला सशक्तीकरण हेतु सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के निर्वाचन तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब–इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य सरकार के निश्चय 'आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार' के तहत् राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। राज्य की गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के समेकित विकास, बचत को बढ़ावा देने, संस्था और क्षमता का निर्माण करने एवं वित्तीय समावेशन के लिए राज्य में जीविका कार्यक्रम लागू है। जीविका के तहत् अब तक 8.26 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा इससे 95.63 लाख परिवार जुड़े हैं।

राज्य में बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पर आधारित ''**मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना**'' आरंभ की गई है। इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर 2000 रूपये, एक वर्ष की आयु पूरा करने तथा आधार पंजीयन कराने पर 1000 रूपये तथा 2 वर्ष की आयु पूरा होने पर कन्या के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर 2000 रूपये अभिभावक को दिये जायेंगे। पोशाक योजना एवं सैनेटरी नैपकिन हेतु राशि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री बालिका इन्टरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को 10 हजार रूपये तथा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 25 हजार रूपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2018–19 से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2018 में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि की 1,66,490 अविवाहित छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रूपये की राशि दी जा रही है। साईकिल योजना की राशि को 2500 से बढ़ाकर 3000 रू० किया गया है। पहले से चल रही अन्य योजनाओं का लाभ उन्हें पूर्व की तरह मिलता रहेगा।

सुशासन के कार्यक्रम के तहत विकसित बिहार के 7 निश्चय के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु गठित बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के क्रियान्वयन के साथ–साथ कृषि रोड मैप, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों के योजनाओं का निर्धारित सूचकांको के आधार पर अनुश्रवण करने की व्यवस्था की गई है, बिहार विकास मिशन द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा शासी निकाय, कार्यकारी समिति एवं उप–मिशन के स्तर पर की जाती है तथा वर्तमान संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए बेहतर कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के लिए सक्षम बनाने हेतु 'आर्थिक हल, युवाओं को बल' निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना,

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के माध्यम से संचालित हैं।

राज्य सरकार द्वारा **'बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना'** में संशोधन करते हुए अब इसके तहत युवाओं को मात्र 4 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 4 लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से दिया जा रहा है। महिलाओं, दिव्यांगों तथा ट्रांसजेन्डरों को मात्र 1 प्रतिशत साधारण ब्याज पर यह ऋण दिया जा रहा है। अब तक इस योजना के तहत कुल 32,683 छात्र–छात्राओं को 909 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' के तहत अब तक 2.86 लाख युवाओं को 256.71 करोड़ लाख रूपये स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है। **'कुशल युवा कार्यक्रम'** के तहत 1667 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भाषा, संवाद, व्यवहार कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। अब तक कुल 5.45 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 1.13 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य के युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से विश्व के आयाम पर नई जानकारियाँ प्राप्त कराने तथा ज्ञान संवर्द्धन करने हेतु राज्य के कुल 310 से अधिक सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा संस्थानों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट–अप नीति, 2017 लागू है और इसके तहत 500 करोड़ रूपये का वेंचर कैपिटल फंड गठित है। अबतक 1042 स्टार्ट–अप्स को इन्क्यूबेशन हेतु चिन्हित संस्थानों के साथ संबद्ध किया गया है।

'हर घर बिजली' निश्चय के तहत सभी 1.19 करोड़ इच्छुक घरों को निर्धारित समय–सीमा दिसम्बर 2018 के 2 माह पूर्व ही आच्छादित किया जा चुका है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ गाँव एवं शहरों तक पहुँचने के बाद अब इसे सभी घरों को सुलभ करायी जा रही हैं। **'हर घर नल का जल'** निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभिन्न पेयजल निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 37,727 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, 15,788 वार्डो में कार्य पूर्ण हुआ है तथा 21.55 लाख घर आच्छादित हुए हैं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में अब तक 5,741 वार्डों में कार्य प्रारंभ हुआ है तथा 1806 वार्डों में कार्य पूर्ण कर 3.82 लाख घरों को आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त 3625 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों, 3814 फ्लोराईड प्रभावित वार्डों तथा 11032 लौह प्रभावित वार्डों के लिए योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। साथ ही मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के तहत 4941 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ हुआ है और 913 वार्डों में कार्य पूर्ण कर 1.55 लाख घरों को आच्छादित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक 2389 वार्ड में कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा अबतक कुल 6.24 लाख घरों को नल के जल की सुविधा दी गई हैं।

'घर तक, पक्की गली–नालियाँ' निश्चय के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 62,654 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें से 39,661 में कार्य पूर्ण हुआ है तथा 46 लाख से अधिक घर आच्छादित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा

अब तक 3517 वार्ड में कार्य प्रारम्भ किया गया है। अबतक कुल 18.63 लाख घरों को पक्की गली–नाली की सुविधा मिली है।

'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' निश्चय के तहत शौचालय निर्माण के साथ–साथ इसके नियमित उपयोग के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अब तक राज्य की सभी पंचायतों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 3658 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं तथा 1 करोड़ से अधिक घरों को आच्छादित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में अब तक कुल 16.08 लाख घरेलू शौचालय एवं 5213 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर, 2019 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाय।

'अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें' निश्चय के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में पाँच नये मेडिकल कॉलेज तथा प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान तथा प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ए.एन.एम. संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है। राज्य सरकार ने मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एव अन्य कई योजनाएँ लागू की गई वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। राज्य में 21,264 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 19,625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। 15,056 नये प्राथमिक विद्यालय भवन एवं 2,76,518 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाये गये। सभी विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल की सुविधा प्रदान की गयी। साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सरकार के अथक प्रयास से आज स्कूल से बाहर रहने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या 12.5 प्रतिशत से घटकर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है। बालिका एवं बालक साईकिल योजना, छात्राओं एवं छात्रों को पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजनाएँ छात्र–छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सरकार के सफल प्रयासों के फलस्वरूप बालिका शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अब मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों की संख्या के बराबर हो गई है। राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभी तक 5,921 पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालों से आच्छादित किया जा चुका है और शेष 2,465 पंचायतों को भी निकट भविष्य में आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में उच्च शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से तीन नये पूर्णिया, पाटलिपुत्र एवं मुंगेर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा में विकास हेतु सभी विश्वविद्यालयों में 'शैक्षणिक कैलेण्डर' लागू किये गये हैं। विश्वविद्यालयों में नियमित पदों पर नियुक्ति के साथ–साथ

तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर गेस्ट फेकेल्टी की नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्नातकोत्तर स्तर पर 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' लागू किया गया है। इस वर्ष से युनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम'(UMIS) भी लागू हो रहा है, जिससे शिक्षकों एवं छात्रों को प्राप्त होने वाली कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ कम्प्यूटरीकृत हो जायेंगी। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। 'नैक एक्रीडिटेशन' की तैयारी हेतु भी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को निदेशित किया गया है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अब राज्यस्तरीय 'कम्बाइंड इन्टरेंस टेस्ट' (CET) ली जा रही है। बी०एड० पाठ्यक्रम में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'बी०एड० पोस्ट एप्स' की व्यवस्था लागू की गई है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयीय विभागों में शिक्षकों और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 'बायोमेट्रिक उपस्थिति' दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है। विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक एवं खेलकूद की अन्तरविश्वविद्यालीय प्रतियोगिताओं 'तरंग' एवं 'एकलव्य' को पुनर्जीवित कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक सकारात्मक शैक्षणिक–सांस्कृतिक वातावरण के विकास हेतु इस वर्ष 'चांसलर अवार्ड' विभिन्न प्रक्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवालों को प्रदान किये जाएगे।

आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा योजनाएँ संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल एवं जिला अस्पताल एक क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्यरत है। अब स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में विशिष्ट चिकित्सा हेतु आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को राज्य में ही आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके।

राज्य के प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल (पी0एम0सी0एच0) को 5000 बेड की क्षमता वाले विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई0जी0आई0एम0एस0) तथा नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल (एन0एम0सी0एच0) में भी बेड की क्षमता को बढ़ाकर 2500 की जा रही है। आई0जी0आई0एम0एस0 में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा प्रारंभ हो गई है तथा पी0एम0सी0एच0 में भी इसकी स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आई0जी0आई0एम0एस0 में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है। साथ ही परमाणु ऊर्जा आयोग, मुम्बई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 150 करोड़ रूपये की लागत पर एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इससे उत्तर बिहार सहित राज्य में कैंसर के मरीजों को राज्य में ही कैंसर का विशिष्ट इलाज उपलब्ध हो सकेगा। राज्य में आई0जी0आई0एम0एस0 एवं पी0एम0सी0एच0 में आई बैंक कार्यरत है, तथा शेष चिकित्सा महाविद्यालयों एवं राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल, पटना में आई बैंक की स्थापना अंतिम चरण में है। मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर में प्रथम चरण में कुल 272 शैय्या के भवन निर्माण संबंधित कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेजों यथा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर, भागलपुर एवं दरभंगा को पुनः संचालित किया जा रहा है।

उपलब्ध एवं उन्नत होते स्वास्थ्य सुविधाओं का ही परिणाम है कि बिहार का मातृ मृत्यु अनुपात जो वर्ष 2005–06 में 371 था, वर्तमान में घटकर 165 हो गया है। वर्ष 2005–06 में शिशु मृत्यु दर, जो 61 था, वर्तमान में घटकर 38 हो गया है। राज्य में बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण वर्ष 2005 में 18 प्रतिशत था जो वर्तमान में बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है।

राज्य की आधारभूत संरचना के विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। बिहार में वृहद्, जिला एवं ग्रामीण सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और अब इस लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे निर्धारित किया गया है। इसके लिए कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार उच्च पथों, बृहद जिला पथों के साथ–साथ ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण पर नई नीति को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की गंगा, कोसी, सोन, गंडक आदि बड़ी नदियों पर 8 महासेतु का निर्माण पूर्ण, 3 महासेतु निर्माणाधीन तथा अन्य नदियों पर 2124 पुलों का निर्माण कराया गया है। सड़कों के अनुरक्षण नीति की तर्ज पर पुलों के अनुरक्षण नीति भी बनाई जा रही है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 या उससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों एवं टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है। ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना के तहत् अब तक 1125 किलोमीटर पथों का निर्माण किया जा चुका है।

भवन निर्माण विभाग द्वारा 388 करोड़ रूपये की लागत से सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया गया है। इस भवन का निर्माण लीड रबर वियरिंग तकनीकी से किया गया है, जो भूकम्प रोधी निर्माण में विश्व की उन्नत तकनीक है। साथ ही गर्दनीबाग में लगभग 900 करोड़ रूपये की लागत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवासन योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया एवं द्वारिका, नई दिल्ली में बिहार सदन का निर्माण एवं पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल–जमाव की समस्या को दूर करने हेतु सभी नगर निकायों में जल निकास की संरचनाओं के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। इसके अन्तर्गत 5 बड़े शहरों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज तथा 32 नगर निकायों में जल निकास की योजना स्वीकृत की गई है। मेट्रो रेल पॉलिसी के प्रावधानों पर राज्य सरकार पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भागलपुर में जलापूर्ति योजना तथा गया में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिजली की स्थिति में राज्य में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। बिजली के सभी प्रक्षेत्रों क्रमशः उत्पादन, संचरण, उपसंचरण एवं वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है। 2005 में जहाँ 700–800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती थी, वहीं अब सितम्बर 2018 में 5139 मेगावाट की रिकॉर्ड विद्युत मांग की आपूर्ति की है। राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत संबंध प्रदान करने का कार्य मिशन मोड में करते हुए लक्षित समय दिसम्बर 2018 से दो माह पूर्व ही पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य मद् से सभी पुराने जर्जर तारों को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए दिसम्बर, 2019 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में कृषि कार्य हेतु समर्पित फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति हेतु पृथक् फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

बिहार की लगभग 89 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और जनसंख्या का लगभग 76 प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर आश्रित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने 2008 में पहला एवं 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप लागू किया। दोनों कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने 2017 से 2022 तक के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बनाया जिसका शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 नवम्बर, 2017 को किया गया।

राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इनपुट अनुदान की व्यवस्था के साथ–साथ जैविक कॉरिडोर बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। जैविक सब्जी की खेती करने के लिए किसानों को बीज एवं जैविक उपादान के क्रय हेतु राशि सीधे उनके खाते में **''इनपुट अनुदान कार्यक्रम''** के तहत दी जा रही है। सब्जियों के व्यापार को व्यवस्थित करने तथा इस व्यापार में अपेक्षित पूँजी निवेश के लिए राज्य के सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण स्वरोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका है। दुग्ध, मछली एवं अण्डा के उत्पादन में राज्य को आत्म निर्भर बनाने हेतु पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बकड़ी वितरण, चुजा वितरण, मत्स्य हेजरी निर्माण आदि कई योजनाऐं चलाई गई है। तीसरे कृषि रोड मैप के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के क्रियान्यन से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा प्रत्येक भारतवासी के थाल में बिहार का एक व्यंजन का सपना साकार होगा। राज्य में हरित आवरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से हरियाली मिशन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। राज्य के कृषि रोड मैप 2017–22 के तहत राज्य के 17 प्रतिशत भू–भाग पर वनाच्छादन करने हेतु 15.10 करोड़ पौधों द्वारा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। राजगीर में 480 एकड़ वनभूमि पर उच्चस्तरीय वन्यजीव सफारी तथा लगभग 600 एकड़ क्षेत्रफल में नेचर सफारी का निर्माण कराया जा रहा है।

किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया जा रहा है। धान अधिप्राप्ति कार्य को पूर्ण पारदर्शी एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए इच्छुक कृषकों के ऑनलाईन निबंधन की व्यवस्था की गई है एवं तत्काल उनके बैंक खाते में भुगतान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इस योजना में वैसे कृषकों को भी शामिल किया गया है, जो अन्य लोगों की भूमि पर कृषि कार्य करते है।

सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अब तक पहचान किये गये कुल 1.62 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड वितरित किये गये हैं और लाभुकों को इसी अनुसार ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से विकसित सिंचाई क्षमता को सतत बनाए रखने, सिंचाई क्षेत्र में लगातार वृद्धि करने एवं संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक उपायों से प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने हेतु प्रयासरत है। राज्य में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने हेतु बड़ी योजनाओं के साथ–साथ छोटी योजनाओं का भी कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 2.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2018 के खरीफ में 20.43 लाख हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान की गई जो अब

तक का रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में 95 किलोमीटर तटबंध के निर्माण का कार्य जारी है। तटबंधों को नदी के कटाव से सुरक्षित रखने हेतु कुल 136 अदद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के सभी 38 जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय में अत्याधुनिक तकनीक आधारित 571 औटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल रेकॉर्डर लगाये जा रहे हैं, जिससे भूगर्भ जल स्तर का आंकड़ा प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा राजकीय नलकुपों के बेहतर संचालन एवं प्रबंधन हेतु इन्हें ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016** लागू की गई है। औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है। राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत निवेश हेतु दिसम्बर, 2018 तक 1063 प्रस्ताव ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टेज–1 क्लियरेंस से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 920 एवं प्रस्तावित निवेश की राशि 124 अरब 27 करोड़ 48 लाख रूपये है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की 447 इकाईयाँ हैं, जिनमें 23 अरब 63 करोड़ 35 लाख रूपये का निवेश प्रस्तावित है। सरकार ने ढाई साल बाद वर्तमान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु ''**मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना**'' लागू की गई है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत अब तक 62.40 लाख पेंशनधारियों को उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। **कबीर अंत्येष्टि योजना** के तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1.61 लाख परिवार को लाभान्वित करते हुए 48.3 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वित्तीय वर्ष में अबतक पूर्ण आवासों की संख्या कुल 2.78 लाख है। शहरी क्षेत्रों के लिए आवास योजना के तहत् 2 लाख 26 हजार घरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

बिहार सरकार की रणनीति हमेशा से उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ''**मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना**'' तथा ''**मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना**'' लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास तथा लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ''**मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना**'' भी लागू की गई है। कमजोर तबके के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत के पाँच लोगों को वाहन की खरीद पर अधिकतम एक लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11665 लाभुकों को अनुदान वितरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग तथा अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धनतम परिवार जो हाशिये पर हैं तथा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार को आजीविका के साधन, क्षमता के निर्माण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **''सतत जीविकोपार्जन योजना''** लागू की गई है।

इस वित्तीय वर्ष में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग 36 लाख छात्र–छात्राओं को 474.78 करोड़ रूपये तथा पोस्ट–मैट्रिक के कुल 1.2 लाख छात्र–छात्राओं को 71.71 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना के तहत् 51,808 छात्र–छात्राओं को 90 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्री–मैट्रिक के लगभग 96 लाख छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 948.34 करोड़ रूपये एवं पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 3.12 लाख छात्र–छात्राओं को 327.92 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत् प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण कुल 1.09 लाख छात्र–छात्राओं को मेधावृत्ति हेतु 104 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों की आधारभूत संरचना तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन तीनों विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी 1000 रू0 प्रतिमाह की दर से ''**छात्रावास अनुदान**'' तथा 15 किलो ''**मुफ्त खाद्यान्न**'' प्रतिमाह देने की योजना स्वीकृत की गई है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 111 छात्रावास संचालित है, इनकी कुल क्षमता 5,580 है। 15 नए छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य में पुराने जर्जर 33 छात्रावासों के नये भवनों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 31 आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु 1079.73 करोड़ रु0 व्यय की स्वीकृति दी गई है। **समेकित थरूहट क्षेत्र विकास योजना** के तहत् 258 योजनाएं स्वीकृत की गयी है इनमें से 242 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 रू0 एवं एक लाख रूपये प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए ''**सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना**'' लागू की गई है।

राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है। अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार पूर्व से छात्रवृति, मेधावृति, शिक्षा ऋण, रोजगार ऋण, कौशल विकास, परित्यक्ता सहायता आदि योजनाओं का सफल संचालन कर रही है। मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना की सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी जिलों में ''**बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना**'' के तहत आवासीय विद्यालय का निर्माण एवं संचालन कराया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ''**बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना**'' तथा वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कर उसमें कौशल विकास केन्द्र, कोचिंग सेन्टर आदि की व्यवस्था करने हेतु ''**बिहार राज्य वक्फ़ विकास योजना**'' की स्वीकृति दी गई है।

अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण की योजना के तहत् 37 छात्रावास निर्मित हैं जिसमें 34 कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 11 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। ''**मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना**'' के तहत् वर्ष 2012–13 से अब तक 11,478 अल्पसंख्यक लाभुकों के स्वरोजगार हेतु लगभग 132 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है। कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना अन्तर्गत अब तक 5800 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण हो चुकी है और 600 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य जारी है।

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण हेतु मानव बल एवं निधि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय के उपयोग हेतु 1100 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 (अद्यतन संशोधित) के आलोक में राज्य के सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी व ग्राऊंड ट्रूथिंग (जमीनी सत्यापन) पद्धति के द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में हवाई फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा अगले 3 वर्ष 2019–20, 2020–21 व 2021–22 में आधुनिक उपकरणों व NIC द्वारा विकसित भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण के शेष कार्य को सम्पन्न किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गयी हैं तथा आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भूमि के पैतृक अथवा पारिवारिक बँटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन कराने के लिए सामान्य दर को घटा कर 50 रुपये निबंधन एवं 50 रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लागू किया है। सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की तथा उसके बाद पूर्ण नशाबंदी का संकल्प लिया है। सभी के सहयोग से शराबबंदी एक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है। शराबबंदी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इन दोनों अभियानों के सार्थक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

बिहार गौरवशाली इतिहास और संपन्न विरासत से परिपूर्ण है। विकास के साथ–साथ कला, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र के संवर्द्धन पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। राज्य में श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व एवं 351वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शुकराना समारोह के साथ–साथ इस वर्ष भी श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है जिस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गाँधीजी के जीवन एवं उनके विचार को प्रदर्शित करने के लिए तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को दर्शाने हेतु पटना में बापू टावर का निर्माण तथा बेतिया एवं मोतिहारी में 2 हजार व्यक्तियों की क्षमता वाला सत्याग्रह सभागार का भी निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार अपने समृद्ध पर्यटन स्थलों को विभिन्न परिपथों एवं इको टूरिज्म के माध्यम से विकसित कर रही है। नालन्दा जिलान्तर्गत घोड़ाकटोरा में पचास फीट ऊँची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र एवं पटना में प्रकाश पुंज का निर्माण कराया जा रहा है। लखीसराय जिले के लाल पहाड़ी में उत्खनन का कार्य प्रारंभ कराया गया है। इसके अतिरिक्त वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय का भी निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2018 में देशी पर्यटकों की संख्या 2.22 करोड़ रही जबकि 9.52 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ।

राज्य में खेल–कूद को बढ़ावा देने के लिए **''मुख्यमंत्री खेल विकास योजना''** के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक कुल 306 स्टेडियम की स्वीकृति इस योजना के तहत दी गई है। खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आधारभूत संरचना उपलब्ध हो, इसके लिए राजगीर में राज्य खेल अकादमी तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के युवाओं में वैचारिक एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से पटना में साईन्स सिटी का निर्माण कराया जा रहा है।

बिहार देश का बहु–आपदा प्रवण राज्य है। राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को राहत एवं बचाव का हरसंभव मदद पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया गठित कर, आपदा रिस्पांस में मानदंड स्थापित करने में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। आपदाओं से निपटने के लिए 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तैयार करने वाला बिहार, देश का पहला राज्य है।

गत वर्ष अल्प वर्षा के कारण खरीफ फसलों की क्षति को देखते हुए राज्य के 24 जिलों के 277 प्रखंडों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियाँ की है। किसानों को अब तक 1450 करोड़ रूपये की राशि इनपुट सब्सिडी के तौर पर राशि सीधे उनके खातों में दी गई है। डीजल अनुदान की दर को बढ़ाकर 50 रूपये प्रति लीटर किया गया है तथा खरीफ एवं रबी फसलों के लिए अनुमान्य पटवन की संख्या को भी बढ़ाया गया है। कृषि कार्य हेतु सरकारी एवं निजी नलकूपों के लिए निर्धारित बिजली दर को घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि इनपुट अनुदान तथा डीजल अनुदान के अतिरिक्त प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में कमी की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **''बिहार राज्य फसल सहायता योजना''** लागू की गई है। पेयजल की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

इसी प्रकार बाढ़ के अतिरिक्त स्थानीय आपदाओं यथा; नौका दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, पानी में डूबने आदि से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना एवं सामाजिक सौहार्द्र का जो माहौल है, उसे कायम रखना है। राज्य सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास पर आप सार्थक चर्चा करेंगे जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद!

।। जय हिन्द ।।

***